8

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
142/2019	18.11.2019	07-1-2026

उनवान

टीकम चंद पुत्र सुखराम जाति वैरवा निवासी गंगापुर सिटी — वादी

बनाम

1. यादराम पुत्र रामदयाल, रैगर, रैगर मोहल्ला गंगापुर सिटी।
2. नन्दकिशोर पुत्र रामदयाल, रैगर, रैगर मोहल्ला गंगापुर सिटी।
3. ब्रजमोहन पुत्र रामदयाल, रैगर, रैगर मोहल्ला गंगापुर सिटी।
4. फूल्या पुत्री रामदयाल पत्नि त्रिलोक चन्द, रैगर निवासी रामपुरा अलीगढ
5. उर्मिला पुत्री रामदयाल पत्नि सीताराम रैगर निवासी चौथ का बरवाडा
6. सजना पुत्री रामदयाल पत्नि तेजमल रैगर निवासी चौथ का बरवाडा
7. कैलाश पुत्र नामालूम रैगर निवासी झाबदा तहसील लालसोट
8. बिट्टू पुत्र कैलाश आयु 8 वर्ष नाबालिक जरिये संरक्षक पिता कैलाश जाति रैगर निवासी झाबदा तहसील लालसोट
9. पूजा पुत्री कैलाश, रैगर, रैगर मोहल्ला गंगापुर सिटी।
10. आरती पुत्री कैलाश, रैगर, रैगर मोहल्ला गंगापुर सिटी।
11. नीतू पुत्री कैलाश, रैगर, रैगर मोहल्ला गंगापुर सिटी।
12. राजू मेहरा पुत्र बंशीलाल वैरवा निवासी संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी
13. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी — प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मो० इस्लाम, एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चूली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 570/2114 रकबा 0.80 है० में वादी का 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 का 1/16 1/16 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 11 राजू मेहरा पुत्र बंशीलाल का 1/2 हिस्सा है। भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण सहखातेदारों के मध्य आये दिन विवाद पैदा होते रहते है। दिनांक 09.09.2019 को वादी ने प्रतिवादीगण से बंटवारे के लिए कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने टालमटोल कर दिया एवं कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसलिए वादी को यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चूली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

स्थित भूमि खसरा नम्बर 570/2114 रकबा 0.80 है० का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से उनके हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी की हिस्से की भूमि में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073, ग्राम चूली खाता संख्या 770 प्रस्तुत की है।

प्रकरण मे वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर 20.5.2024 वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/25/5321 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. टीकमचंद पुत्र सुखराम, बैरवा सा0 गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 570/2114/1 रकबा 0.05 है0 ग्राम चूली तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
2. कन्नो बाई पुत्री रामदयाल, हि0 5/75, बृजमोहन पुत्र रामदयाल हि0 5/75, यादराम पुत्र रामदयाल हि0 10/75, राजू महेरा पुत्र बंशीलाल हि0 40/75 जातियान बैरवा सा. गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 570/2114/2 रकबा 0.75 है0, ग्राम चूली तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान [illegible] किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested